



कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू।
(समाज कल्याण शाखा) (जिला बाल संरक्षण इकाई)

Email ID - depspalamu@gmail.com

अति अल्पकालीन निविदा

सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या 05/म0स0/यो0-177/2018-1737/57 (स्वी0) दिनांक 01.01.2020 के द्वारा पलामू में सम्प्रेक्षण गृह संचालन हेतु 50 बच्चों के लिए स्वीकृत आदेश दिया गया है।

उक्त के आलोक में सम्प्रेक्षण गृह के 50 बच्चों के भोजन (सुबह, दोपहर, शाम एवं रात) के लिए राशन की जरूरत पड़ेगी। विभागीय गजट के अनुसार निम्न सामग्रियों की आपूर्ति करना है, जो निम्नवत् है :-

क्र०सं०	सामग्री का नाम	प्रतिदिन प्रति बालक मानक
1	चावल/गेंहू/रागी/ज्वार	600 ग्राम, (16-18 वर्ष की आयु वर्ग को 700 ग्राम) जिसमें कम से कम या तो गेंहू या रागी या ज्वार या चावल हो।
2	दाल/राजमा/चना	120 ग्राम
3	खाद्य तेल	25 ग्राम
4	प्याज	25 ग्राम
5	नमक	25 ग्राम
6	हल्दी	05 ग्राम
7	धनिया बीज चूर्ण	05 ग्राम
8	अदरक	05 ग्राम
9	लहसून	05 ग्राम
10	इमली/आमचूर्ण	05 ग्राम
11	दूध (नाश्ते में)	150 ग्राम
12	सूखी मिर्च	05 ग्राम
13	पत्तेदार सब्जियां (पत्ता रहित)	100 ग्राम/130 ग्राम
14	दही या छाछ	100 ग्राम/मिली लीटर
15	सप्ताह में एक बार चिकन अथवा अंडा चार दिन	115 ग्राम
16	गुड़ और मूंगफली अथवा पनीर (केवल शाकाहारी को)	सप्ताह में एक बार प्रत्येक को 60 ग्राम (पनीर 100 ग्राम)
17	चीनी	40 ग्राम
18	चाय/काँफी	5 ग्राम
19	सूजी/पोहा	150 ग्राम
20	रागी	150 ग्राम
50 बालकों के लिए निम्नलिखित मर्दे प्रतिदिन		
21	काली मिर्च	25 ग्राम
22	जीरा बीज	25 ग्राम
23	काला चना दाल	50 ग्राम
24	सरसों तेल	50 ग्राम
25	अजवायन	50 ग्राम
10 किलो चिकन चिकन दिवस के लिए		
26	गरम मसाला	10 ग्राम
27	कोपरा	150 ग्राम
28	खसखस	150 ग्राम
29	मूंगफली तेल	500 ग्राम
बीमार बालकों हेतु		
30	ब्रेड	500 ग्राम
31	दूध	500 ग्राम
32	खिचड़ी	300 ग्राम
अन्य मर्दे		
33	केवल कुकिंग हेतु एलपी गैस	

उपरोक्त सभी सामग्री सरकारी नियमानुसार माप के अनुसार समयानुसार उपलब्ध कराना होगा।

इच्छुक निविदादाता दिनांक 03/10/2020 से अपराह्न 1:00 बजे तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, पलामू में एक सीलबन्द लिफाफा में सामग्रियों का दर भरकर जमा कर सकते हैं। सामग्रियों का दर 2160/रु0 बच्चा से अधिक नहीं होना चाहिए।

निविदादाता का चयन निविदा में डाले गये न्यूनतम दर के आधार पर किया जाएगा। सामग्रियों का दर कृषि उत्पाद बाजार समिति, पलामू के दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

निविदा हेतु विहित प्रपत्र

क्र०सं०	सामग्री का नाम	निविदा का दर

निविदादाता बन्द लिफाफे में उपरोक्त दर भरकर उसमें अपना नाम, व्यापार का पता, मोबाईल नम्बर एवं हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही निविदा लिफाफे के ऊपर उपायुक्त, पलामू लिखकर निविदा डालेंगे। सामग्रियों की आपूर्ति के लिए परिवहन एवं हथालन के लिए किसी प्रकार का दर देय नहीं होगा एवं सामग्री की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं होगा। निविदा दिनांक 03/10/2020 को अपराह्न 09:00 बजे उपायुक्त पलामू के अध्यक्षता में खोली जाएगी। जिसमें सभी निविदादाता की उपस्थिति अनिवार्य है।

चयनित निविदादाता को उपायुक्त, पलामू के द्वारा दिये गये निदेशानुसार सम्प्रेक्षण गृह, केन्द्रीय कारा के पीछे औपूरति करनी होगी। सम्प्रेक्षण गृह, पलामू में राशन का स्टॉक समाप्त होने के पूर्व सामग्री आपूर्ति करनी होगी। सामग्री आपूर्ति ससमय नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। निविदादाता आयकर रिटर्न (2 वर्ष का) संस्थान का जीएसटी एवं एसजीएसटी आदि का कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।


उपरोक्त अल्पकालीन निविदा सूचना जिला के वेबसाईट palamu.nic.in एवं जिला समाज कल्याण कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।



उपायुक्त
पलामू।

ज्ञापांक 24/9/2020 जि०बा०सं०, दिनांक 24/9/2020

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त इच्छा की अभिव्यक्ति www.palamu.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


25/9/2020


23.9.20
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
पलामू
25/9/2020


उपायुक्त
पलामू।